

प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 31-05-2021

अबैध कच्ची शराब का निष्कर्षण व विक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजघाट पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में अबैध कच्ची अबैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध अभियान के तहत टीम बनाकर अबैध शराब के विरुद्ध जगह-जगह छापेमारी की गयी। दबिश के क्रम में बैकुण्ठ धाम नदी के किनारे से दो नफर अभियुक्तगण 1- किशन डोम पुत्र सूरज डोम निवासी हार्बट बन्धा डोमखाना थाना राजघाट जनपद गोरखपुर 2- बलवन्त निषाद पुत्र महेन्द्र निषाद निवासी महेवा थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर व एक नफर अभियुक्ता 3- उर्मिला निषाद पत्नी मनोज निषाद निवासी हार्बट बन्धा चकरा अक्वल थाना राजघाट गोरखपुर कुल 03 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 115 ली० अबैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 800 ग्राम यूरिया तथा 03 किलो ग्राम नौसादर बरामद की गयी। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-130/2021 धारा 272 भा०द०वि० व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- किशन डोम पुत्र सूरज डोम निवासी हार्बट बन्धा डोमखाना थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- बलवन्त निषाद पुत्र महेन्द्र निषाद निवासी महेवा थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर व एक नफर अभियुक्ता
- 3- - उर्मिला निषाद पत्नी मनोज निषाद निवासी हार्बट बन्धा चकरा अक्वल थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 31.05.2021 समय 06.25 बजे, गिरफ्तारी का स्थान चकरा अक्वल स्थि अमरुद बाग नदी के किनारे

बरामदगी-

115 ली० अबैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 800 ग्राम यूरिया तथा 03 किलो ग्राम नौसादर

पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं० 130/2021 धारा 272 भा०द०वि० व 60 आबकारी अधिनियम।

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि०/कर्मचारी-

- 1- प्र०नि० श्री विनय कुमार सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2- उ०नि० अवधेश चन्द्र मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3- का० दिलीप कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 4- का० अशोक कुमार यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 5- का० पप्पू गौतम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 6- म०का० कविता सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।